

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 336]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई 2013—श्रावण 1, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2013

क्र. एफ-ए-03-24-2013-1-पांच (39).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत स्वामियों को राकेश ओमप्रकाश मेहरा द्वारा निर्मित एवं निर्देशित फिल्म “भाग मिलखा भाग” के सिनेमाघरों में प्रदर्शन पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन मनोरंजन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है. सिनेमाघरों के स्वामी द्वारा इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से पूर्व में प्रचलित प्रवेश की दर को उतनी ही सीमा तक कम करना होगी, जितनी राशि की छूट प्रदान की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2013

क्र. एफ-ए-03-24-2013-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-24-2013-1-(39), दिनांक 23 जुलाई 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्र, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd July 2013

No. F-3-24-2013-1-V (39).—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhinyam, 2011 (No. 11 of 2011), the State Government, hereby, exempts the Proprietors registered under the Act from the payment of entertainment tax under the Act in respect of screening of film "Bhaag Milkha Bhaag" produced and directed by Rakesh Omprakash Mehra, in cinema halls from the date of publication of this notification. The rate of admission prevailing prior to the issue of this notification shall be reduced by the proprietor of the cinema to the extent of the exemption granted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.